



Haryana Government Gazette

EXTRAORDINARY

Published by Authority

© Govt. of Haryana

44-2020/Ext.] CHANDIGARH, TUESDAY, MARCH 31, 2020 (CHAITRA 11, 1942 SAKA)

हरियाणा सरकार

आबकारी तथा कराधान विभाग

अधिसूचना

दिनांक 31 मार्च, 2020

संख्या 17/जीएसटी-2.— हरियाणा माल और सेवा कर नियम, 2017 (जिन्हें, इसमें, इसके पश्चात्, उक्त नियम कहा गया है) के नियम 48 के उपनियम (4) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, हरियाणा के राज्यपाल, परिषद् की सिफारिशों पर और हरियाणा सरकार, आबकारी तथा कराधान विभाग, अधिसूचना संख्या 108/जीएसटी-2, दिनांक 31 दिसम्बर, 2019 के उन बातों के सिवाय अधिक्रमण में, जिन्हें ऐसे अधिक्रमण से पहले किया गया है या करने का लोप किया गया है, इसके द्वारा, ऐसे रजिस्ट्रीकृत व्यक्ति, उन से भिन्न जो उक्त नियमों के नियम 54 के उपनियम (2), (3) (4) और (4क) में विनिर्दिष्ट हैं, जिनका एक वित्तीय वर्ष में कुल आवर्त एक सौ करोड़ रुपए से अधिक है, को रजिस्ट्रीकृत व्यक्ति के वर्ग के रूप में अधिसूचित करते हैं, जो किसी रजिस्ट्रीकृत व्यक्ति को माल या सेवाओं या दोनों के प्रदाय के सम्बन्ध में उक्त नियम के नियम 48 के उपनियम (4) के अनुसार बीजक तथा अन्य विहित दस्तावेज तैयार करेंगे।

2. यह अधिसूचना प्रथम अक्टूबर, 2020 से लागू होगी।

अनुराग रस्तोगी,
प्रधान सचिव, हरियाणा सरकार,
आबकारी तथा कराधान विभाग।

HARYANA GOVERNMENT
EXCISE AND TAXATION DEPARTMENT

Notification

The 31st March, 2020

No. 17/GST-2.— In exercise of the powers conferred by sub-rule (4) of rule 48 of the Haryana Goods and Services Tax Rules, 2017 (hereinafter referred to as the said rules), the Governor of Haryana, on the recommendations of the Council, and in supersession of the Haryana Government, Excise and Taxation Department, notification No.108/GST-2, dated the 31st December, 2019, except as respects things done or omitted to be done before such supersession, hereby notifies registered person, other than those referred to in sub-rules (2), (3), (4) and (4A) of rule 54 of the said rules, whose aggregate turnover in a financial year exceeds one hundred crore rupees, as a class of registered person who shall prepare invoice and other prescribed documents, in terms of sub-rule (4) of rule 48 of the said rules in respect of supply of goods or services or both to a registered person.

2. This notification shall come into force with effect from the 1st day of October, 2020.

ANURAG RASTOGI,
Principal Secretary to Government Haryana,
Excise and Taxation Department.

8737—C.S.—H.G.P., Pk1.

(474)